

संख्या- 123/1-10-2014-12(4)/13टी0सी0

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 07 फरवरी, 2014

विषय - वर्ष 2013 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1275/तीन-सी0आर0ए0(आपदा), दिनांक 28-10-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बिजनौर में वर्ष 2013-14 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु जिला/मण्डल स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा अनुमोदित प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बिजनौर एवं निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, नजीबाबाद के कुल 32 कार्यों/परियोजनाओं में से ₹0 10.00 लाख से कम के 04 कार्यों/परियोजनाओं को पृथक करते हुये अर्थात् कुल 28 कार्यों/परियोजनाओं की मरम्मत हेतु कुल धनराशि ₹0 10,28,44,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 5,14,22,000/- (कुल रुपये पाँच करोड़ चौदह लाख बाइस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बिजनौर के कार्यों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की लागत (लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	2	4	5
1	चान्दपुर खानपुर दतियाना मार्ग के किमी0 15 से जमालुददीनपुर मार्ग की मरम्मत/सुधार का कार्य	60.50	30.25
2	चान्दपुर खानपुर दतियाना मार्ग किमी0 9 व 10 की मरम्मत/सुधार का कार्य	56.48	28.24

3	छाछरी मोड़ से जलीलपुर मार्ग किमी० 5 से 13 एवं 16 की मरम्मत/सुधार का कार्य	132.34	66.17
4	सुजातपुर खददन से पान्दून पुल की ओर जाने वाले खड़जा मार्ग की मरम्मत एवं सुधार का कार्य	84.19	42.095
5	धामपुर स्याहारा मार्ग से भज्जावाला मार्ग की मरम्मत/सुधार का कार्य	14.51	7.255
6	मिलक पूरनपुर से नंगला भज्जा मार्ग की मरम्मत/सुधार का कार्य	13.60	6.80
7	दीतनपुर से मिलक पूरनपुर मार्ग की मरम्मत/सुधार का कार्य	32.51	16.255
8	धामपुर स्याहारा मार्ग से हसनपुर पालकी होते हुए सददोबेर मार्ग की मरम्मत/सुधार का कार्य	26.46	13.23
9	सददोबेर से मिर्जालीपुर मार्ग की मरम्मत/सुधार का कार्य	47.54	23.77
10	मानपुर चौराहे से सब्दलपुर मिलक मार्ग	46.32	23.16
11	सब्दलपुर से रसूलपुर नंगला मार्ग	49.66	24.83
12	बसेड़ा खुर्द से पाडली माण्डू मार्ग (ग्रामीण मार्ग)	22.08	11.04
13	बिजनौर नूरपुर छजलैट मार्ग के किमी० 7 से धर्मपुरा	14.94	7.47
14	बिजनौर में पाडली माण्डू से अखेड़ा तक मार्ग	20.19	10.095
15	बदायूं बिजनौर मार्ग राज्य मार्ग	27.02	13.51
16	ग्राम खेड़की में बिच्छू के खेत से बैराज रोड मार्ग में आर०सी०सी० कल्वर्ट व एप्रोच का कार्य एवं पुर्नस्थापना	20.82	10.41
17	गढ़ी बगीची से शर्मापुरी होते हुए स्वाहेड़ी खुर्द तक मार्ग की मरम्मत/सुधार का कार्य	42.20	21.10
18	मौ०पुर मण्डावली से मण्डावर मार्ग की पुर्नस्थापना का कार्य	49.67	24.835
19	बालकिशनपुर से उलेडा मार्ग	26.02	13.01
	योग :-	787.05	393.525

निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, नजीबाबाद के कार्यों का विवरण

1	जसपुर धामपुर मार्ग के किमी० 15 में आर०सी०सी० पुलिया का पुनःनिर्माण	11.18	5.59
2	नजीबाबाद बाईपास मार्ग की 1.890 किमी० पुर्नस्थापना का कार्य	33.38	16.69
3	जसपुर धामपुर मार्ग के किमी० 13(चैनेज 12.600 से 13.000) में बोगी एक्शन ट्रीटमेंट का कार्य	47.67	23.835
4	पूरनपुर बिजौरी जट्टीवाला मार्ग 14.200 किमी० मार्ग पर ध्वस्त पुलियों के स्थान पर 1 मी० स्थान व 3 मी० स्थान की आर०सी०सी० पुलियों का निर्माण	14.50	7.25
5	जसपुर धामपुर मार्ग किमी० 16 में बोगी एक्शन ट्रीटमेंट का कार्य	47.67	23.835
6	पूरनपुर बिजौरी मार्ग विभिन्न किलोमीटरों में मरम्मत का कार्य	19.69	9.845
7	मुरादाबाद हरिद्वार मार्ग किमी० 42 से मेवाजट कुमखिया मार्ग की मरम्मत का कार्य	35.85	17.925
8	एन०एच०-74 के किमी० 130 से दहलावाला मार्ग पर आर०सी० पुलिया का निर्माण	10.84	5.42
9	बदापुर से पाखरो मार्ग की मरम्मत एवं आर०सी०सी० पुलियों का निर्माण	20.61	10.305
	योग:-	241.39	120.695
	कुल योग :-	1028.44	514.22

- 2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत, लेखाशीर्षक '2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।
- 3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पतियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अयमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पतियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों, मुख्य रूप से औचित्य प्रमाण पत्र सम्बन्धी बिन्दुओं पर आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अग्रोत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- 4- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मर्दों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मर्दों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।
- 5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पतियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।
- 6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

- 7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।
- 8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- 9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।
- 10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,



(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 123 (1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 7- उप निदेशक, (सामान्य) एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।

- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी विजनौर ।
- 10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 12- गार्ड फाइल ।

आज्ञासे
११/११
(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।
५